राजस्व लोक अदालत 2015

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : श्री उदयभानु चारण,आर.ए.एस.

कैम्प–टापरा दिनांक 29–06–2015

मुकदमा नंबर राजस्व वाद 160/2014

वादी

1. बुध प्रकाश पुत्र सांवलराम कौम सुथार साकिन असाड़ा तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. वीरमाराम पुत्र सांवलराम कौम सुथार साकिन असाड़ा
2. जेठाराम पुत्र सांवलराम कौम सुथार साकिन असाड़ा
3. कालीदेवी बैवा सांवलराम कौम सुथार साकिन असाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

दावा अधिकारों की घोषणा

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई । प्रकरण में पक्षकारान उपस्थित हुये। वादी वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सरहद मौजा असाड़ा में खेत खसरा सं0 2326/122 रकबा 04.11 बीघा, खसरा सं0 2329/211 रकबा 24.18 आया हुआ है। जो सांवलजी की खातेदारी का था। सांवलराम के देहांत के बाद हल्का पटवारी ने फौतगी म्युटेशन खोलते वक्त वादी बुध प्रकाश के अशुद्ध नाम सुरेश के नाम से म्युटेशन अन्य वारिसान के साथ भर कर पास करवा दिया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम बुध प्रकाश है वादी को लाड प्यार से सुरेश के नाम से पुकारते थे। वादी द्वारा खेत खसरा सं0 2326/122 रकबा 04.11 बीघा, खसरा सं0 2329/211 रकबा 24.18 बीघा सरहद मौजा असाड़ा का वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने एवं राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम सुरेश की जकह दुरूस्त कर शुद्ध नाम बुध प्रकाश दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया गया !

प्रकरण में पक्षकारान ने उपस्थित हो कर राजीनामा प्रस्तुत कर खेत खसरा सं0 232/122 रकबा 04.11 बीघा व खसरा सं0 2329/211 रकबा 24.18 बीघा सरहद मौजा असाड़ा में वादी का हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम सुरेश की जगह दुरूस्त कर बुद्धप्रकाश पुत्र सांवलराम सुथार जो गलती से सांवलाराम के फौतगी म्येशन ना0क0सं0 2490 में गलती से सुरेश पि0 सांवला दर्ज किया [illegible] को दुरूस्त किये जाने पर आपसी सहमति प्रदान की ।

पक्षकारान के आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पक्षकारों [illegible] किसी प्रकार का कोई विवाद नही रहा है। पक्षकारों के बीच संबंध अच्छे हो चुके है। वादी का नाम [illegible] पुत्र सांवलराम सुथार है जो लिपीकीय त्रुटिवश वक्त फौतगी म्युटेशन भरते समय वादी के लाड प्यार [illegible] सुरेश दर्ज होने से इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया को दुरूस्त करवाने व खेत खसरा सं0 232/122 रकबा 04.11 बीघा व खसरा सं0 2329/211 रकबा 24.18 बीघा सरहद मौजा असाड़ा में [illegible] हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित करने पर पक्षकार सहमत होने से राजस्व रेकर्ड में वादी [illegible] दूरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया जा सरहद मौजा असाड़ा के खसरा सं0 232/122 रकबा 04.11 बीघा व खसरा सं0 2329/211 रकबा 24.18 बीघा भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा कर वादी का नाम सुरेश पि0 सांवला के स्थान पर बुद्धप्रकाश पुत्र सांवलराम सुथार दर्ज किया जा कर रेकर्ड दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये जाते है कि आदेशानुसार रेकर्ड दुरूस्त कर पालना से अवगत करावें। डिक्री पर्चा जारी हो । पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करें। पत्रावली बाद तामिल दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.6.2015 को लिखाया जा कर मजमे आम मे सुनाया गया !

(उदय भानु चारण)

सहायक कलेक्टर पदेन

(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उप [illegible]

कैम्प 21/6/15 2015